अध्याय 9

भारत की विदेश नीति

अजीत अपने माता–पिता के साथ कुछ दिन पहले नेपाल घूमकर आया था। वहाँ से वह अपने दोस्तों के लिए कुछ नेपाली खिलौने भी लाया था। अगले सप्ताह उसके चाचा जी कुवैत नामक देश से आनेवाले हैं। वह अपने माता–पिता से कह रहा है कि वह अपने चाचा जी के साथ कुवैत भी जाएगा। उसके माता–पिता ने उसे कहा कि वह अपने चाचा जी के साथ कुवैत नहीं जा सकता, क्योंकि कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए जो इतनी जल्दी नहीं बन सकता।

(गुरुजी से पता करो कि कुवैत कौन से महाद्वीप में है और भारत से किस दिशा में स्थित है?)

अजीत ने पूछा– ''ये पासपोर्ट क्या होता है''? अजीत के माता–पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता, आप अपने स्कूल की शिक्षिका से पूछना। अजीत ने अपने स्कूल में आकर शिक्षिका से पूछा, ''बहन जी, कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है ? पासपोर्ट क्या होता है?'' शिक्षिका ने कहा, '' पासपोर्ट एक तरह का तुम्हारा पहचान पत्र होता है, ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में तुम्हें परीक्षाओं के समय पहचान पत्र दिया जाता है। यह पहचान पत्र इसलिए जरूरी होता है ताकि इस बात का पता लग सके कि यात्रा करने वाले व्यक्ति तुम ही हो। तुम्हारे नाम पर कोई और व्यक्ति तो नहीं जा रहा है और हाँ, केवल पासपोर्ट होने से ही हम किसी भी देश में नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त हमें उस देश के अधिकारियों से अनुमति पत्र भी लेना पड़ता है, जिसे वीसा कहते हैं।''

अजीत हैरान होकर शिक्षिका को बताया कि वह कुछ दिन पहले अपने माता–पिता के साथ नेपाल घूमकर आया है। नेपाल जाने के लिए तो हमें कोई पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ा परन्तु कुबैत जाने के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए ? शिक्षिका ने बताया'' प्रत्येक देश ने दूसरे देशों के नागरिकों को अपने देश में आने–जाने के लिए अलग–अलग नियम बनाए हैं। ये नियम दो देशों के आपसी रिश्तों और व्यवहार को देखकर बनाए जाते हैं। देश की जरूरतों का भी ऐसे नियम बनाते समय ध्यान रखा जाता है।''

1. हमें एक देश से दूसरे देश में किन–किन कारणों से जाना पड़ता है? चर्चा कर सूची बनाइए।
2. क्या नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं ?

कक्षा में पहुँचते ही शिक्षिका ने बच्चों को संविधान की उद्देशिका को दोबारा पढ़ने को कहा। शिक्षिका ने बताया कि उद्देशिका का पहला शब्द 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न' बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण शब्द है। जिसका मतलब है कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने तथा घरेलू नीतियाँ और नियम बनाने के लिए आजाद है। कोई भी पैसे वाला देश अपने पैसे और ताकत के बल पर अपनी जरूरत की नीतियाँ बनाने के लिए हम पर दवाब नहीं डाल सकता।

1. ऐसी कौन–सी बातें हो सकती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकता है? चर्चा कीजिए।

2. भारत का बांग्लादेश और अमरीका के साथ संबंध में क्या अंतर होगा? क्या दोनों देशों को एक समान महत्व दिया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना और नियम बनाए जाते हैं उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। क्या सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी होती हैं? सुरेश ने पूछा। शिक्षिका ने बताया, ''सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी नहीं होती है।'' राजू ने कहा, ''एक मुहल्ले में रहते हुए भी हमारे सभी पड़ोसियों से तो एक जैसे रिश्ते नहीं होते, किसी के यहाँ आना जाना कम होता है तो किसी के यहाँ ज्यादा।

1. एशिया के राजनीतिक मानचित्र में अफगानिस्तान को ढूँढो।
2. म्यानमार और बांग्लादेश भारत की किस दिशा में हैं ?
3. भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएँ किन–किन देशों से लगी हैं ? यदि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में दूसरे देशों से आने–जाने वाले लोगों पर नजर रखनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा?

दूसरे देशों के साथ विदेश नीति बनाते समय सभी देशों की मुख्य जरूरत अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। प्रत्येक देश उन देशों के साथ दोस्ती और सहयोग करने की कोशिश करता है, जो उसकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में सहायक हो सकें। भारत अफगानिस्तान और नेपाल से इसलिए ज्यादा करीब है क्योंकि वह चाहता है कि कोई भी विदेशी सेना हमारे देश तक न पहुँचे। इन देशों की वायु सीमाओं का भी भारत के खिलाफ प्रयोग न किया जा सके।

किसी भी देश की दूसरे देशों के साथ संबंधों की योजना बदलती रहती है। भारत में भी कई बार अपने संबंधों की योजनाएँ बदली हैं। सन् 1962 में चीन द्वारा भारत पर उत्तर–पूर्व और उत्तर दिशा से किए गए हमलों से पहले भारत की सरकार यह मानती थी कि हमें ज्यादा सेना और हथियार रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी दुश्मन देश नहीं है। चीन के साथ होने वाली लड़ाई में भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सैनिक

योजना और विदेशों के साथ संबंधों की योजना में कुछ बदलाव किए और सेनाओं और हथियारों में वृद्धि की।

राखी ने पूछा–''क्या भारत की सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं?'' शिक्षिका ने बताया कि भारत ने भी अपने लिए कई सिद्धांत बनाएँ हैं–

1. देश द्वारा दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना हमारी विदेश नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत है। सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए यह भी जरूरी है कि एक देश दूसरे देश पर हमला न करे।
2. एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे और न ही दूसरे देशों के घरेलू मामलों में दखल दे।
3. सभी देशों को समान रूप से आदर देने और उनकी पहचान का समानता के साथ सम्मान करना।
4. विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों को अपने गुटों में शामिल करना चाहते थे। भारत यह जानता था कि गुटों में बँटना विश्व शांति के लिए हानिकारक है। किसी गुट में शामिल होने का मतलब था किसी भी मामले में हमारे स्वतंत्र मत का कोई अर्थ नहीं। इसलिए यह तय किया गया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों यानि अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से सम्भव हुआ है। इसे ही भारत की 'गुट निरपेक्ष' नीति कहा जाता है।

गुट निरपेक्षता की इस नीति को विश्वशांति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के लिए आवश्यक मानकर धीरे–धीरे कई देश इसे अपनाने लगे। इसे अपनाने वाले राष्ट्रों का समूह गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाने लगा।

R1ECI3

पंचशीलः–

पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। पंचशील संस्कृत के दो शब्दों ''पंच और शील'' से बना है। पंच का अर्थ है पाँच और शील का अर्थ है आचरण के नियम, अर्थात् आचरण के पाँच नियम।

पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई सन् 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। संधि में उल्लिखित पाँच बिन्दु निम्नलिखित हैंः–

1. एक–दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। यानि सभी देशों की सरकारों और उनके फैसलों के प्रति सम्मान की भावना रखना तथा उनकी स्वतंत्रता और एकता को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना।
2. अनाक्रमण अर्थात् किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना।
3. एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना अर्थात् कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम–कानून बनाए उसमें रोक–टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना।
4. समानता और पारस्परिक लाभ अर्थात् किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा न मानकर समान मानना एवं एक–दूसरे के हित में काम करना।
5. **शांतिपूर्ण सह अस्तित्व–**इसका अर्थ है सभी देश अपनी आजादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आजादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे। अपने बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक चर्चा से ही हल करना।

भारत ने हमेशा इन सिद्धांतों पर अमल किया है। अन्य देशों या पड़ोसी देशों से भूमि सीमा, पानी के बँटवारे या अन्य विवादों को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास किया है।

अभ्यास के प्रश्न

R1N8JQ

1. विदेश नीति क्या है ?
2. गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है ?
3. गुट निरपेक्षता भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएँ रखने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? अपने विचार लिखें।
4. भारत को गुट निरपेक्ष नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी ?
5. ''पंचशील'' के पाँच सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए ?
6. आपके विचार में किसी भी देश को विदेश नीति बनाते समय किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
7. सन् 1962 में भारत ने जिस विदेश नीति को जन्म दिया उसका नाम बताइए ?